इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2608

15 दिसम्बर, 2011 को उत्तर के लिए

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में बदमाशों द्वारा हमला

2608 श्री तपन कुमार सेन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के परिसर में 10 सितंबर, 2011 को सशस्त्र बदमाशों के हमले में 23 नियमित और संविदा कर्मचारी घायल हुए थे;

(ख) क्या एक संसद सदस्य ने 22 सितंबर, 2011 को लिखे एक पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री और 'सेल' के मुख्य कार्यकारी प्रबंधक (सी.एम.डी.) से हस्तक्षेप की मांग की गई थी;

(ग) क्या इस संबंध में एक उप-महाप्रबंधक (कार्मिक) ने 9 नवंबर, 2011 को टाल-मटोल करते हुए प्रतिक्रिया दी थी;

(घ) क्या मंत्रालय में किसी संसद सदस्य से प्राप्त शिकायत का जवाब देने के लिए कोई प्रोटोकॉल है;

(ड.) क्या 16 नवंबर, 2011 को भी इसी प्रकार की हिंसा की घटना पुन: हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क): सेल ने सूचना दी है कि दिनांक 10 सितम्बर, 2011 को दुर्गापुर स्टील प्लांट के परिसरों में ठेका कार्मिकों के दो समूहों के बीच लड़ाई झगड़े की एक घटना हुई थी जिसमें कुछ ठेका कार्मिक घायल हो गए थे। तथापि, किसी नियमित कर्मचारी के घायल होने अथवा सशस्त्र बदमाशों द्वारा हमला करने की कोई सूचना नहीं है।

(ख): जी, हां।

(ग): माननीय संसद सदस्यों द्वारा मंत्री महोदय को संबोधित पत्र का उत्तर भेजने से पूर्व मंत्री महोदय द्वारा पत्र की जांच संबंधित सीपीएसई/संगठन के साथ परामर्श करके की जाती है। वर्तमान मामले में सेल ने माननीय संसद सदस्य के निजी सचिव को पत्र भेजकर वास्तविक स्थिति और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए सुधारात्मक उपायों की जानकारी माननीय संसद सदस्य को दी है।

(घ): जी, हां। माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की पावती मंत्री महोदय द्वारा दी जाती है और संबंधित प्राधिकारी/संगठन से वास्तविक स्थिति प्राप्त करने के उपरांत मंत्री महोदय द्वारा इनका उत्तर भेजा जाता है।

(ड.) और (च): दिनांक 16 नवम्बर, 2011 को प्लांट परिसरों के भीतर ठेका कार्मिकों के दो समूहों के बीच लड़ाई झगड़े की सूचना भी दी गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और जिला पुलिस प्राधिकारियों के तुरंत हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था। दोनों घटनाओं में प्रथम सूचना रिपोर्टें (एफआईआरएस) पुलिस के पास दर्ज कर ली गई हैं। पुलिस प्राधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। तथापि, संयंत्र के भीतर बेहतर सुरक्षा के लिए और संयंत्र के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्लांट के प्रबंधन द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं, यथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा औचक निरीक्षण करना, इंटेलीजेंस सिस्टम को सशक्त बनाना और प्रवेश के समय जांच-पड़ताल करना इत्यादि।

****